	जन स्वास्थ्य (स्थानिकमारी, जैव-आतंकवाद और आपदा रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन) वधेयक, 2017 वधेयक आपदाओं, जैव-आतंकवाद की घटनाओं का तत्संबंधी खतरों के परिणामस्वरूप स्थानिकमारियों, जन स्वास्थ्य और इनसे संबं धत अथवा इनसे प्रासं गक मामलों के लए निवारण, नियंत्रण और प्रबंधन प्रदान करना। भारत गणतंत्र के सढ़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार पारित कया जाना: अध्याय 1 प्रारं भक	
	(1) यह अ धनियम जन स्वास्थ्य (स्थानिकमारी, जैव - आतंकवाद और आपदा निवारण, नियंत्रण तथा प्रबंधन) अ धनियम, 2017 कहलाएगा। (2) इसका वस्तार संपूर्ण भारत तक है। (3) यह केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अ धसूचना की तारीख से प्रवृत्त होगा।	लघु शीर्ष का वस्तार और प्रारंभ
	2. इस अ धनियम में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपे क्षत न हो, - (क) "जै वक-खतरनाक सामग्री" का अ भप्राय ऐसे कसी भी संक्रामक अ भकर्मक और खतरनाक जै वक सामग्री से है जिससे मानवों, पशुओं, वनस्पतियों अथवा पर्यावरण के स्वास्थ्य को खतरा अथवा संभा वत खतरा हो; (ख) "जै वक-खतरनाक" में कसी भी माध्यम से अथवा द्वारा अथवा कसी भी तरीके से अथवा द्वारा सूक्ष्म जीवों अथवा वषैले पदार्थों के प्रसार के जरिए मानवों अथवा कसी भी पशु अथवा वनस्पति को बीमारी करने मृत्यु हेतु जै वक अ भकर्मकों का सु वचारित प्रयोग शा मल है; (ग) "केंद्र सरकार" का अ भप्राय भारत सरकार के उस मंत्रालय अथवा वभाग से है	

जिसका जन स्वास्थ्य प्रबंधन पर प्रशासनिक नियंत्रण है;

(घ) "नैदानिक प्रतिष्ठान" में निम्न ल खत शा मल हैं-

(i) कोई भी अस्पताल, मेटरनिटी होम, औषधालय, क्लिनिक, सेनेटोरियम अथवा कसी भी नाम से पुकारे जाने वाली संस्था, जो कसी भी मान्यता प्राप्त आयु र्वज्ञान पद्धति में निदान, उपचार अथवा बीमारी संबंधी परिचर्या, इंजरी, वकार, असामान्यता अथवा गर्भावस्था की अपेक्षा होने पर सेवाएं, बिस्तर सहित सु वधाएं प्रदान करते हैं;

(ii) रोगों के निदान अथवा उपचार से संबं धत उपर्युक्त घ (i) में यथानिर्धारित कसी भी स्वतंत्र संस्था अथवा कसी संस्था के नाम के रूप में स्था पत ऐसा कोई भी स्थान, जहां सामान्यत: प्रयोगशाला अथवा अन्य च कत्सीय उपकरणों की सहायता के साथ-साथ पैथोलोजिकल, बैक्टिरियोलॉजिकल, आनुवं शक, व करण वज्ञानी, जैव-रासायनिक, जै वक जांचे अथवा अन्य निदान एवं जांच सेवाएं कसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के निकाय द्वारा की जाती हैं, स्था पत हैं और प्रशा सत होती हैं अथवा अनुर क्षत होती हैं, चाहे वे शा मल हों अथवा नहीं, और इसमें निम्न द्वारा अ धग्रहित, नियंत्रित अथवा प्रबं धत नैदानिक प्रतिष्ठान भी शा मल होंगे -

क) सरकार अथवा सरकारी वभाग
ख) सार्वजनिक अथवा निजी न्यास;
ग) केंद्रीय, प्रांतीय अथवा राज्यीय अ धनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी निगम (कसी सोसायटी सहित), चाहे स्वा मत्व सरकार का हो अथवा नहीं;
घ) स्थानीय प्रा धकरण; और
ङ) एक डॉक्टर,

ले कन इसमें सशस्त्र बलों द्वारा शा मल नहीं होंगे;

(ड.) " वसंदूषण" का अ भप्राय है ऐसी प्र क्रया जिसके द्वारा मानव अथवा पशुओं के शरीर पर सेवन हेतु तैयार कए गए कसी पदार्थ में अथवा पर अथवा वाहन सहित अन्य निर्जीव वस्तुओं पर कसी भी ऐसे संक्रामक अथवा वषैले अ भकर्मक अथवा पदार्थ को हटाने हेतु स्वास्थ्योपाय कए जाते हैं जिनसे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है;

(च) " डरैटिंग" का अर्थ ऐसी प्र क्रया है जिसके द्वारा प्रवेश बिंदु पर यात्री सामान, कार्गो, कंटेनरों, वाहनों, सु वधाओं, सामानों तथा डाक पार्सलों में मौजूद मानव रोग के रोडेंट वेक्टरों को नियंत्रित करने अथवा मारने हेतु स्वास्थ्योपाय कए जाते हैं;

	(छ)	"आपदा" का अ भप्राय कसी भी क्षेत्र में प्राकृतिक अथवा मानव नि र्मत कारणों अथवा दुर्घटना अथवा लापरवाही के कारण होने वाले वनाश, दुर्घटना, आपदा अथवा भयानक घटना से है जिसके कारण मनुष्य की जान चली जाती है अथवा अत्य धक आपत्ति आ जाती है अथवा संपत्ति को नुकसान अथवा हानि होती है एवं पर्यावरण का क्षरण एवं हानि होती है एवं इसकी प्रकृति अथवा परिमाण इतना तीव्र होता है क यह प्रभा वत क्षेत्र के समुदाय इससे निपटने में पूर्णतया अक्षम हो जाता है;	
	(ज)	" वसंक्रमण" का अर्थ ऐसी प्र क्रया से है जिसके द्वारा रासायनिक अथवा भौतिकीय अ भकर्मकों के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले यात्री का सामान, कार्गो, कंटेनरों, वाहनों, सामान तथा डाक के पार्सलों में अथवा इन पर अथवा मानव अथवा पशुओं के शरीर पर संक्रामक अ भकर्मकों को मारने अथवा नियंत्रित करने हेतु स्वास्थ्योपाय कए जाते हैं;	
	(झ)	" डसइंसेक्शन" का अ भप्राय ऐसी प्र क्रया से है जिसके द्वारा यात्री सामान, कार्गो, कंटेनरों, वाहनों, सामानों तथा डाक के पार्सलों में मौजूद मानव रोगों के कीट वेक्टरों को नियंत्रित करने अथवा मारने के लए स्वास्थ्योपाय कए जाते हैं;	
	(ञ)	"जिला" का अ भप्राय राजस्व प्रशासन के प्रयोजनार्थ और/अथवा कानून एवं व्यवस्था के प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व वभाग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशासनिक क्षेत्र से है जिसके प्रमुख जिला समाहर्ता अथवा उपायुक्त होते हैं;	
	(ट)	"जिला प्रा धकारी" का अ भप्राय उपायुक्त अथवा जिला समाहर्ता अथवा जिला मजिस्ट्रेट अथवा प्रचा लत राजस्व व ध अथवा फौजदारी प्र क्रया संहिता, अथवा जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत यथा धकार प्राप्त राजस्व अ धकारी अथवा कार्यकारी मजिस्ट्रेट से है और ये सभी इस आशय में शा मल हैं;	
	(ठ)	"औषध" में (i) मानवों अथवा पशुओं के आंतरिक अथवा बाहरी इस्तेमाल के लए सभी दवाइयां अथवा मानवों अथवा पशुओं में कसी भी रोग अथवा वकार के निदान, उपचार, उपशमन अथवा निवारण में अथवा के लए अ भप्रेत सभी पदार्थ तथा मच्छरों जैसे कीटों को भगाने के प्रयोजनार्थ मानव शरीर पर लगाने वाले औष ध मश्रण शा मल हैं; **(ii)** केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र में समय-समय पर जारी की गई अ धसूचना में यथा वनिर्दिष्ट ऐसे पदार्थ (खाद्य पदार्थ को छोड़कर) जिनसे मानव शरीर की संरचना और शरीर की कार्यप्रणाली पर प्रभाव पड़े या जिनका प्रयोग मानवों या पशुओं में रोग उत्पन्न करने वाले कीटों के नाश के लए कया जाए**; (iii)** खाली जिलेटिन कैप्सूल सहित सभी पदार्थ जिनका प्रयोग कसी औषध के घटकों के रूप में कया जाना हो**; (iv)** केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र समय-समय पर जारी की	

	गई अ धसूचना में यथा वनिर्दिष्ट ऐसे उपकरण जिनका उपयोग मानवों या पशुओं में कसी रोग या वकार के निदान, उपचार, उपशमन या रोकथाम में आंतरिक या बाहरी रूप में कया जाए; और **(v)** कोई नई औष ध जिसके लए केंद्रीय लाइसें संग प्रा धकारी द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) वधेयक, 2013 की धारा 18 की उप-धारा **(1)** के खंड (ग) के प्रथम परंतुक के तहत अनुमति प्रदान की गई है। (ड) **"**महामारी**"** का तात्पर्य है कसी समुदाय या क्षेत्र में कसी बीमारी, स्वास्थ्य संबंधी वशेष लक्षणों या अन्य स्वास्थ्य संबंधी घटनाओं का प्रकोप सामान्य उम्मीद से अ धक होना**;** (ढ) **"**महामारी संभा वत रोग**"** का अ भप्राय उस रोग से है जिसे केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अ धसू चत इस अ धनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कया गया हो**;** (ण) **"**ग्राउंड क्रा संग**"** का अर्थ है भारतीय भू म पत्तन प्रा धकरण के अनुसार भारत में प्रवेश हेतु स्थानीय केंद्र, जिसमें सड़क वाहनों और ट्रेनों द्वारा प्रयुक्त स्थल शा मल है। (त) **"**आइसोलेशन**"** का अर्थ है बीमार या संक्र मत व्यक्तियों या प्रभा वत सामान के बैगों, कंटेनरों, वाहनों, सामग्री या पोस्टल पार्सलों को अन्य से इस ढंग से अलग रखना ता क संक्रमण या संदूषण की रोकथाम की जा सके**;** (थ) **"**स्थानीय क्षेत्र**"** से वह क्षेत्र अ भप्रेत है जिसके भीतर कोई स्थानीय प्रा धकार अपने क्षेत्रा धकार का प्रयोग करता है**;** **(द) "**स्थानीय प्रा धकरण**"** में पंचायती राज संस्थाएं, नगर पा लकाएं, जिला बोर्ड, छावनी बोर्ड, शहर नियोजन प्रा धकरण या जिला परिषद या पत्तन आयुक्तों का निकाय या कोई अन्य निकाय या प्रा धकरण, चाहे उन्हें जिस नाम से जाना जाए, शा मल है**;** जिन्हें वर्तमान में वशेष स्थानीय क्षेत्र के भीतर अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध कराने या नागरिक सेवाओं के नियंत्रण और प्रबंधन की शक्ति व ध द्वारा प्रदान की गई हो**;** (ध) **"**अ धसूचना**"** से सरकारी राजपत्र में प्रका शत अ धसूचना अ भप्रेत है। (न) **"**प्रकोप**"** का तात्पर्य है रोग के फैलने के मामले में कसी स्थान वशेष की महामारी**;** (प) **"**प्रवेश स्थल**"** का अर्थ है यात्रियों, बैगेज, कार्गो, कंटेनरों, वाहनों सामान और पोस्टल पार्सलों तथा प्रवेश या निर्गम पर सेवाएं उपलब्ध कराने वाली एजें सयों के अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश या निर्गम के लए स्थान**;** (फ) संभा वत जैव-आतंकवाद एजेंट से इस अ धनियम की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध एजेंट से अ भप्रेत है**;**	

	(ब) "परिसर" से भवन, अनि र्मत क्षेत्र और कोई भू म अ भप्रेत है; (भ) "निर्धारित" से अ भप्रेत है इस अ धनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित; (म) "जन स्वास्थ्य आपातकाल" का अर्थ है जन स्वास्थ्य के लए अचानक उत्पन्न कोई खतरा, जिसमें निम्न ल खत शा मल हैः संक्रामक या कोई छुआछूत की बीमारी का प्रकोप या मानवों, पशुओं या पौधों को प्रभा वत करने वाले कीटों का प्रकोप, खतरनाक महामारी का प्रकोप या खतरा, महामारी संभा वत रोग, आपदा या जैव-आतंकवाद या संभा वत जन स्वास्थ्य आपातकाल जिसकी रोकथाम, नियंत्रण और उपचार के लए तुरंत कार्रवाई की आवश्यकता हो, जिसका नियंत्रण इस अ धनियम को छोड़कर कसी अन्य कानून से न कया जा सके; (य) " वश्व के लए चंताजनक जन स्वास्थ्य आपातकाल" का अ भप्राय है कोई असाधारण घटना जिसका निर्धारण वश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य वनियम (आईएचआर) के प्रावधानों के तहत कया जाए; (क) "राष्ट्र के लए चंताजनक जन-स्वास्थ्य आपातकाल" का अ भप्राय है केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर यथाघो षत या अ धसू चत जन-स्वास्थ्य आपातकाल; (ख) "जन-स्वास्थ्य सेवा" का अर्थ है रोगों की रोकथाम और उपचार के लए सेवाएं और स्वास्थ्य संवर्धन और उसके पर्यावरण की स्वच्छता, टीकाकरण तथा इस अ धनियम के तहत प्रदत्त अन्य सेवाएं और ऐसी कन्हीं सेवाओं के लए कसी संस्थान की स्थापना और उसका अनुरक्षण शा मल है; (ग) "जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठान" से ऐसा प्रतिष्ठान अ भप्रेत है जिसका अनुरक्षण जन स्वास्थ्य सेवाओं के लए कया गया हो और उसमें इस अ धनियम के तहत इस प्रयोजन से उसमें इस अ धनियम के तहत इस प्रयोजन से केंद्र राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अ धसू चत ऐसा कोई प्रतिष्ठान शा मल है; (घ) "संगरोध" का अर्थ है संदिग्ध व्यक्तियों, जो बीमार नहीं है, या संदिग्ध बैगेज, कंटेनरों, वाहनों या सामान की गति व धयों को प्रतिबं धत करना और या उन्हें दूसरे से इस ढंग से अलग रखना क संभा वत संक्रमण या संदूषण की रोकथाम की जा सके; (ङ) " वनिमय" से इस अ धनियम के तहत यथा वनिर्दिष्ट वनियम अ भप्रेत है; (च) "रिजर्वायर" का तात्पर्य कसी पशु, पादप या पदार्थ से है जिसमें आम तौर पर संक्रामक एजेंट रहता है और जिससे जन स्वास्थ्य का खतरा हो;	

	(छ) "अनुसूची"से इस अ धनियम से शा मल अनुसूची अ भप्रेत है; (ज) "सामाजिक दूरी" एक जन स्वास्थ्य संबंधी परिपाटी है जिसे लोगों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी सुनिश्चित करके संक्रमण के प्रकोप को सी मत करने हेतु तैयार की गई है; (झ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य है राज्य सरकार का वभाग जिसके प्रशासनिक नियंत्रण में जन स्वास्थ्य प्रबंधन हो और उसमें सं वधान के अनुच्छेद 239 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त केंद्र शा सत प्रदेश का प्रशासक शा मल है: (ञ) "केंद्र शा सत प्रदेश" का तात्पर्य होगा सं वधान की प्रथम अनुसूची में वनिर्दिष्ट कोई केंद्र शा सत प्रदेश और उसमें भारतीय प्रायद्वीप के भीतर स्थित कोई अन्य प्रदेश भी शा मल होगा जिसे उक्त अनुसूची में वनिर्दिष्ट नहीं कया गया है। (टट) " वेक्टर" का अर्थ उस कीट अथवा कसी जी वत वाहक से है जो कसी संक्र मत व्यक्ति अथवा उसके अप शष्टों से कसी संक्र मत एजेंट को शीघ्र प्रभा वत होने वाले व्यक्ति अथवा उसके आहार अथवा आस-पास के परिवेश में पहुंचाता है।	
	अध्याय-II जन स्वास्थ्य उपाय	
	3. यदि कसी राज्य अथव संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अथवा कोई जिला अथवा स्थानीय प्रशासन का यह मत है क सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है अथवा उत्पन्न होने की संभावना है, तो इस आदेश द्वारा- क) जैसा क आदेश में उल्लि खत होगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन हेतु ऐसी अव ध के लए ऐसे कदम उठाने के लए जिला अथवा स्थानीय प्रशासन के कसी अ धकारी, जैसी स्थिति मामला हो, को आदेश अथवा अ धकार दिया जा सकता है; ख) जैसा क ऐसे आदेश में उल्लि खत होगा, ऐसी अव ध के लए ऐसे उपाय करने के लए कसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग को आदेश दिया जा सकता है। ग) यथा उल्लि खत ऐसे कसी क्रयाकलाप जो क उसके अ धकार क्षेत्र के तहत कसी भी क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य के लए हानिकारक है अथवा उसके हानिकारक होने की संभावना है, को रोकना; घ) जैसा क ऐसे आदेश मे उल्लि खत होगा कसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा कसी वस्तु अथवा वस्तुओं के समूह के आवागमन को प्रतिबं धत कया जाएगा जिससे कोई बीमारी होने अथवा कसी पदार्थ के संपर्क में आने का संदेह होगा; ङ) जैसा क आदेश में उल्लि खत होगा, ऐसी कसी बीमारी से संक्र मत अथवा पी ड़त कसी	राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्रों अथवा जिला/अथवा स्थानीय प्रशासन की शक्ति

	व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को अलग करना; च) जैसा क आदेश में उल्लि खत होगा, कसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह की प्रयोगशाला जांच सहित च कत्सा जांच की जाएगी तथा उपचार, टीके अथवा अन्य रोगनिरोधक उपलब्ध कराए जाएंगे, जिनमें ऐसी कसी बीमारी के लक्षण उजागर होंगे अथवा ऐसी कसी बीमारी से पी ड़त होगा अथवा पी ड़त होने का संदेह होगा। छ) संक्रमण के वैक्टरों तथा जलाशयों सहित संक्रमण अथवा संदूषण को दूर करने के लए समान, कार्गो, कंटेनरों, वाहनों, वस्तुओं, डाक पार्सलों, मानव अवशेषों, पशुओं, प क्षयों अथवा जै वक पदार्थों की डरेटिंग करना, वसंक्रमण, डसइंसेक्शन, वसंदूषण, उपचार, वनाश अथवा निपटान करना; ज) कसी अन्य अ धनियम अथवा अध्यादेश में अन्य कोई प्रावधान होते हुए भी, कसी औष ध अथवा अन्य कोई सामग्री जिसमें खतरनाक अथवा वशेष पदार्थ हों, की खरीद, परिवहन, वतरण, बिक्री, आपूर्ति, भंडारण, जैसा भी उ चत हो, को प्रतिबं धत अथवा वनिय मत करना; झ) कसी क्षेत्र में परिवहन कए जा रहे कसी भी पोत, कार्गो अथवा वस्तुओं के साथ-साथ कसी समुद्रतट, हवाई अड्डे, बस स्टैंड अथवा रेलवे स्टेशन, सड़क मार्ग, जैसा भी मामला हो, से जाने वाले, पहुंचने वाले अथवा गुजरने वाले कसी भी वाहन, पोत, समुद्री जहाज, वायुयान, रेल अथवा अन्य कसी प्रकार के परिवहन का निरीक्षण करना तथा, यदि अपे क्षत हो, को हिरासन में लेना; ञ) पर्यटन अथवा पर्यटन के इरादे से आने वाले अथवा कसी पशु अथवा पौधे अथवा जै वक खतरनाक सामग्री को कसी भी प्रकार के परिवहन द्वारा ले जाने अथवा ले जाने का इरादा रखने वाले कसी व्यक्ति को, जैसा आवश्यक समझा जाए, हिरासत में लेना का आदेश देना; ट) कसी परिसर में, बिना कसी पूर्व अनुमति के, प्रवेश करने तथा उसका निरीक्षण करने के लए कसी कर्मचारी अथवा व्यक्ति को अ धकृत करना, जहां या तो जन स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है अथवा उत्पन्न होने की संभावना है। ठ) जन स्वास्थ्य आपात स्थितियों से उत्पन्न होने वाले मामलों में मरीज को दा खल करने, उसे अलग रखने तथा उसका प्रबंधन करने हेतु कसी नैदानिक स्थापना को निर्देश देना तथा यथा निर्धारित प्रपत्र एवं प्रकार से कोई रिपोर्ट अथवा जानकारी प्रस्तुत करने तथा यथानिर्दे शत ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना; ड) उ चत समझी जाने वाली ऐसी सूचना का प्रचार-प्रसार करना तथा बाजारों, शैक्ष णक एवं अन्य संस्थाओं तथा समाज से दूर रखने सहित ऐसी परिस्थितियों में अन्य उ चत उपाय करना।	

	4. जब कसी भी समय केंद्र सरकार संतुष्ट हो क देश में अथवा देश के कसी भाग में कोई जन स्वास्थ्य आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है अथवा उत्पन्न होने की संभावना है, तो वह निम्न ल खत को- क) ऐसे निर्देश, जैसा क वह आवश्यक समझती है, दे सकती है- **i**) इस अ धनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को तथा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन इस निर्देशों की अनुपालन करेंगे। **ii**) इस अ धनियम के प्रावधानों तथा उनके तहत बनाए गए नियम अथवा आदेश के कार्यान्वयन हेतु जिला अथवा स्थानीय निकायों को तथा जिला अथवा स्थानीय निकाय इन निर्देशों का अनुपालन करेंगे। बशर्ते क केंद्र सरकार को ऐसा प्रतीत होता है क ऐसा करना उ चत एवं जनहित में होगा, सरकार धारा 3 के अंतर्गत वनिर्दिष्ट कन्हीं भी शक्तियों का उपयोग कर सकती है। ख) ऐसे उपाय करने के आदेश देना जिनका जन स्वास्थ्य आपात स्थिति अथवा उसकी आशंका की रोकथाम, नियंत्रण तथा प्रबंधन के लए जन सामान्य अथवा कसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा अनुपालन करना आवश्यक समझा जाए। ग) जन स्वास्थ्य आपात स्थिति अथवा उसकी आशंका की रोकथाम, नियंत्रण तथा प्रबंधन के लए ऐसे उपाय करने, जैसे क आवश्यक समझे जाएं, के लए कसी व्यक्ति की आवश्यकता अथवा उसे अ धकार देना।	केंद्र सरकार की शक्तियां
	अध्याय- **III** दंड	
	5. (1) इस अ धनियम के कसी प्रावधान अथवा उनके तहत बनाए गए अथवा जारी कए गए कसी नियम अथवा आदेश का अन भज्ञता के कारण कसी भी प्रकार का उल्लंघन दंडनीय होगा जिसके तहत प्रथम बार उल्लंघन के लए दस हजार रुपए तक का जुर्माना तथा बार-बार उल्लंघन के लए पच्चीस हजार तक जुर्माना देना होगा। (2) इस अ धनियम के प्रावधानों अथवा जारी कए गए कसी नियम अथवा आदेश का जानबूझ कर अथवा इरादतन कया गया उल्लघंन एक दंडनीय संज्ञेय अपराध होगा, जिसके तहत प्रथम बार उल्लंघन करने पर पचास हजार रुपए तक का जुर्माना देना होगा तथ बार-बार उल्लघंन करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा तथा कारावास का दंड भी दिया जा सकता है जिसे दो वर्ष की अव ध तक के लए बढ़ाया जा सकता है।	

	अध्याय -IV **अपील**	
	6. **(1)** कोई भी व्यक्ति अथवा निकाय जो क धारा 3 धारा 4, तथा धारा 5 के तहत राज्य सरकार अथवा संघ शा सत क्षेत्र प्रशासन या जिला या स्थानीय प्रा धकरी द्वारा दिए गए आदेश से असंतुष्ट है, जैसा क इस अ धनियम के तहत अ धसू चत कया गया है, उक्त आदेश के वरूद्ध संबं धत प्रा धकारी में अपील कर सकती है। (2) जब तक अपीलीय प्रा धकारी उस आदेश जिसके वरूद्ध अपील की जा रही है, को आस्थ गत नहीं कर सकता, जो ऐसी अपील, जिसे चुनौती दी गई है, के लंबित रहने के लए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन अथवा जिला अथवा स्थानीय निकाय द्वारा जारी कए गए आदेश के कार्यान्वित न करने के लए कोई पर्याप्त कारण नहीं होगा।	
	अध्याय-V **व वध**	
	7. इस अ धनियम या इसके तहत नि र्मत कसी आदेश या नियम के तहत कोई भी कार्रवाई करने के लए प्रा धकृत कसी व्यक्ति को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अनुसार एक लोक सेवक माना जाएगा।	कुछ व्यक्तियों को लोक सेवक माना जाएगा।
	8. इस अ धनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु लए गए या लए जाने वाले निर्णय के लए इसके तहत बनाए गए कोई आदेश या नियम, राज्य सरकार अथवा संघ शा सत प्रशासन का निर्णय राज्य या संघ शा सत क्षेत्र या जिला या स्थानीय प्रा धकारी अथवा इसके न्याय क्षेत्र के तहत नि र्मत निर्णयों का अतिक्रमण करेगा तथा राज्य या जिला या स्थानीय अ धकारी के निर्णय का अतिक्रमण करेगा।	अतिक्रमण करने की शक्तियां
	9.(1) कोई भी न्यायालय इस अ धनियम की धारा 3, धारा 4 तथा धारा 5 के तहत कसी भी निर्दिष्ट अ धकारी की पूर्व अनुमति के बिना कसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। (2) धारा 3, धारा 4 अथवा धारा 5 के तहत कसी भी अपराध के लए, अ भयोजन शुरू करने से पहले या बाद में ऐसे अ धकारी द्वारा सजा कम की जाएगी तथा सजा कम करने के लए भुगतान की रा श निर्धारित की जा सकती है।	अपराधों को संज्ञान में लेना।
	10. इस अ धनियम या इसके तहत नि र्मत कसी भी नियम या आदेश के अनुपालन में कसी व्यक्ति द्वारा सदभावना से कए गए कार्य या कार्य करने की इच्छा के वरूद्ध कोई भी मुकदमा, अ भयोजन या अन्य कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।	सदभावना से कए गए कार्य पर सुरक्षा

	11. इस अ धनियम के प्रावधान इस समय कसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों का अतिक्रमण करेंगे।	अतिक्रमण के प्रभाव का अ धनियम
	12. (1) केंद्र सरकार, अ धसूचना द्वारा इस अ धनियम की कसी भी अनुसूची में संशोधन कर सकती है तथा उक्त अनुसूची को इस प्रकार की अ धसूचना की ति थ के अनुसार संशो धत माना जाए। (2) उप-धारा (1) के तहत जारी सभी अ धसूचनाओं को, इसके जारी करने के शीघ्र बाद, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कया जाएगा।	अनुसूची में संशोधन करना
	13. (1) इस अ धनियम के प्रावधानों को पूरा करने के प्रथम नियमों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कया जाएगा। तथा प, राज्य सरकारें प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों के अनुसार इन नियमों में संशोधन कर सकती है।	नियम बनाने की शक्ति
	(2) वशेष रूप से, पूर्ववर्ती शक्तियों को व्यापक रूप से प्रभा वत कए बिना ये नियम सभी को या निम्न ल खत में से कसी एक को प्रदान करते हैं: (क) वह स्वरूप और तरीका, जिसमें धारा 3 के खण्ड (1) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट या ववरणी प्रस्तुत की जानी है; (ख) अ धकारी, जो धारा 9 की उप-धारा (1) के अंतर्गत पूर्व अनुमति प्रदान करेगा; (ग) अ धकारी, जो धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत अपराध की सजा को कम करने और सजा कम करने की रा श तय करेगा। (3) इस धारा के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को निर्धारित करने से पहले इसे संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कया जाएगा, जब संसद तीस दिनों तक की कुल अव ध के लए सत्र में हो, जिसे एक सत्र में या दो या अ धक उत्तरोत्तर सत्रों में शा मल कया जाए, और यदि, होने वाले सत्र या उत्तरोत्तर उपर्युक्त सत्रों के बाद सत्र के समाप्त होने के तत्काल पूर्व, दोनों सदन नियम में आशोधन करने पर सहमत हों या दोनों सदन सहमत हों क नियम नहीं बनाना चाहिए; नियम ऐसे आशो धत रूप में ही होना चाहिए या प्रभावी नहीं होना चाहिए; जैसी भी स्थिति हो; तथा प, ऐसा कोई आशोधन या वलोपन पूर्व में दी गई कसी वैधता के पूर्वाग्रह के बिना या उस नियम के अंतर्गत हटाया गया होना चाहिए।	
1897 का 3	14. (1) जनपादिक रोग अ धनियम, **1897** को एतदद्वारा निरस्त कया जाता है। (2) उपर्युक्त आ धनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे निरस्तीकरण, कुछ भी कया गया या की गई कोई कार्रवाई इस अ धनियम के प्रावधानों के असंगत न हो के होते हुए भी, इस अ धनियम के प्रावधानों के अंतर्गत की गई मानी जानी चाहिए जैसे क यदि उक्त प्रावधान लागू होते तो ऐसा कया जाना या ऐसी कार्रवाई की गई होती तथा तदनुसार, तब तक जारी रहती जब तक इस अ धनियम के अंतर्गत ऐसा कया गया या की गई कसी कार्रवाई से प्रतिस्था पत न कर दिया जाए।	

पहली अनुसूची

[धारा 2 देखें (एन)]

महामारी रोग होने का खतरा

1. एंथ्रेक्स
2. बर्ड फ्लू (ए वयन इन्फ्लुएंजा)
3. चेचक
4. चकनगुनिया बुखार
5. हैज़ा
6. डेंगू बुखार / डेंगू रक्तस्रावी बुखार (डीएचएफ)
7. डप्थीरिया
8. आंतों का बुखार
9. महामारी ड्रोप्सी
10. बड़े पैमाने पर दवा प्रतिरोधी तपेदिक (एक्सडीआर- टीबी) / बहुऔषध प्रतिरोधी टीबी (एमडीआर-टीबी)
11. वषाक्त भोजन
12. एचआईवी / एड्स
13. इन्फ्लुएंजा
14. जापानी मस्तिष्ककोप
15. कालाजार
16. क्यासानुर वन रोग
17. लेप्टोस्पाइरो सस
18. क्रुत्ज़फेल्ट-जैकब रोग (मैड कॉव रोग)
19. मलेरिया
20. खसरा
21. मेनिंगोकोक्सल मेनिन्जाइटिस
22. निफा वायरल रोग
23. प्लेग
24. पो लयो
25. रेबीज
26. पुनरावर्तन बुखार
27. गंभीर तीव्र श्वसन संड्रोम (एसएपीएस)

28. चेचक

29. सन्निपात

30. इबोला सहित वायरल रक्तस्रावी बुखार

31. वायरल हेपेटाइटिस

32. काली खांसी

33. पीत ज्वर

34. अंतरराष्ट्रीय समस्या वाली कोई सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति

35. सार्वजनिक स्वास्थ्य के महत्व का कोई भी अन्य महामारी रोग, जिसे अ धसू चत कया जा सकता हो।

दूसरी अनुसूची

[धारा **2** (ख)]

संभा वत जैव आतंकवाद एजेंट

क - बैक्टीरिया (रिकटे सया और क्लैमाइ डया सहित)

1. बे सलस एंथ्रे सस (एंथ्रेक्स)
2. बार्टोनेल्ला क्विंटाना (ट्रेंच बुखार)
3. ब्रू सला प्रजातियां (ब्रूसीलो सस)
4. बुर्खोलडेरिया मालोई (ग्लैंडर्स)
5. बुरखोल्डेरिया सुडोमाल्लई (मे लयोईडो सस)
6. क्लैमाइ डया पा स ासी (पा स ाको सस)
7. कोक्सिल्ला बुरनेटी (क्यू बुखार)
8. फ्रां ससेल्ला टुलारेन सस (तुलमेरिया)
9. ओरिएंटिया सुतसुगामुशी (स्राव टाइपस)
10. रिक्टे ा सया प्रोवाजेक्की (सन्निपात बुखार)
11. रिक्टे ा सया रिक्के सी (रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर)
12. साल्मोनेला टाइफी (टाइफाइड बुखार)
13. शगेला प्रजातियां (शजेलो सस)
14. वब्रियो कोलरा (हैजा)
15. या र्सनिया पेस्टिस (प्लेग)

ख - कवक

16. को स डयो डे स मटिस (को क डओईडो मको सस)
17. हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलाटम (हिस्टोप्लास्मो सस)

ग - वायरस

18. क्री मया - कांगो रक्तस्रावी बुखार
19. डेंगू
20. इबोला वायरस रोग
21. हनतान; कोरियाई रक्तस्रावी बुखार
22. जापानी मस्तिष्ककोप
23. जुनिन (अर्जेंटीना रक्तस्रावी बुखार)
24. लासा बुखार
25. लम्फोसाइटिक कोरियोमेनेंनजाइटिस
26. माचुपो (बोली वया रक्तस्रावी बुखार)
27. मारबर्ग वषाणु रोग

28. ओम्स्क रक्तस्रावी बुखार

29. रिफ्ट वैली बुखार

30. सन नोमब्रो

31. चेचक

32. टिक - जनित इन्सेफेलाइटिस; रूस वसंत ग्रीष्म इन्सेफेलाइटिस

33. पीत ज्वर

घ - वषाक्त पदार्थ

34. क्लोस्ट्री डयम बोटु लनम (बोटु लनम टॉक्सिन)

ड. – अन्य

35. अन्य अनुवां शक रूप से तैयार जीव

36. अन्य संभा वत जैव आतंकवाद एजेंट जिसका सार्वजनिक स्वास्थ्य के परिणाम होने जोड़ा जा सकता है, को अ धसू चत कया जा सकता है।